

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुरार

आवेदन (ILR - इलाकी) खाना सं. 37 (जमा. सं. 2075-2078)

श्रीमानजी,

आधी का नाम आता आया है, पत्रावली पर शासनकार्ड जांच के आधार पर गोकल राम पुत्र गिरधारी के स्थान पर गोकल चन्द पुत्र गधुराज नाम जाना उचित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

16/12/21  
दिनांक :- 16/12/21

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णित प्रारंभ आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चया की जाती है/है की जाती है।

*इसका नाम जागा गिरधारी*

16/12/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- .....

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	अठानवा	2075-2078	37	गोकल राम पुत्र गिरधारी	गोकल चन्द पुत्र गधुराज


नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

16/12/21  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/2388

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वारते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....



16/12/21  
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी